आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
31/03/2015	**न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया** वाद संख्या–सी0आर0एम0–25/09–10 राजेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार सरकार **आदेश** राजेन्द्र प्रसाद वल्द–स्व0 गंगा प्रसाद साह ग्रा0–सुगहा भवानीपुर अंचल–सिकटा द्वारा यह अपील अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के पारित आदेश ज्ञापांक दिनांक 04.03.2010 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की जनवितरण प्रणली के दूकान की अनुज्ञप्ति को तत्कालीक प्रभाव से रद्द किया गया है। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया एवं इस मामले से सम्बंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय के अभिलेख को देखा। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिकटा ने अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को प्रतिवेदित किया है कि अपीलकर्ता राजेन्द्र प्रसाद जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता ने वी0पी0एल0 योजना के खाद्यान्न का अब तक ड्राफ्ट जमा नही किया है तथा अन्त्योदय योजना के खाद्यान्न का माह सितम्बर–2009 एवं अक्टुबर–09 का भी बैक ड्राफ्ट जमा नही किया है। यह भी प्रतिवेदित है कि विक्रेता के द्वारा आवंटित खाद्यान्न का बैक ड्राफ्ट जमा नहीं करने के कारण सरकार की कल्याणकारी योजना के लाभ से लाभूक एक लम्बे समय तक वंचित रह गये। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने विक्रेता से अपने ज्ञापांक 829 दिनांक 03.10.2009 एवं 833 दिनांक 03.10.2009 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी लेकिन उनके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा विक्रेता से अपने ज्ञापांक 931 दिनांक 05.11.2009 के माध्यम से स्पष्टीकरण हेतु स्मार दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 20.11.2009 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता को जवाब देने हेतु पर्याप्त समय दिया गया लेकिन उनके द्वारा जवाब दाखिल नही किया गया। आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि विक्रेता द्वारा जवाब नही	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

देने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन्होने जानबुझकर कल्याणकारी योजना के लाभ से लाभूको को वंचित रखते हुए खाद्यान्न को व्ययगत करा दिया गया जो अनुज्ञप्ति की शर्तो का खुला उल्लघंन एवं आदेश की अवहेलना है। इस स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने विक्रेता की अनुज्ञप्ति को तत्कालीक प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलम्बन आदेश के बावजूद भी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के कारण उनके अनुज्ञप्ति को आदेश ज्ञापांक 181, दिनांक 04.03.2010 द्वारा रद्‌द कर दिया गया।

अपीलकर्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने बिना पूर्ण तथ्यों पर विचार किये हुए उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् कर दिया गया है। अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि उन पर आरोप है कि उन्होंने वी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठाव करने हेतु बैक ड्राफ्ट जमा नहीं किया गया है जबकि उन्होने मो0–19329.00 रूपयें का बैक ड्राफ्ट नं0–750811 दिनांक 29.10.2009 से एस0बी0आई बेतिया में जमा कर दिया है। अपीलकर्ता का कहना है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकरी ने बिना सत्यता की जांच किये हुए गलत प्रतिवेदन समर्पित किया जिसके आधार पर उनके अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है।

विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अपील आवेदन के साथ बैक ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न है जो मो0–19329.00 रूपयें का है। इसके अवलोकन से यह ज्ञात नही होता है कि यह बैक ड्राफ्ट किस माह के वी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजनान्तर्गत खाद्यान्न के उठाव हेतु जमा कर दिया गया था। इस परिस्थिति में वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को वापस करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे जांच करा लें कि क्या जन वितरण प्रणाली के विक्रेता ने वी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय के खाद्यान्न उठाव हेतु राशि जमा की थी। जांच में जैसा प्रतिवेदित हो उस आलोक में नियमानुकूल आदेश पारित करने की अपेक्षा के साथ इस वाद को अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज को वापस किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
31/3/15

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
31/3/15